भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1177
08.12.2025 को उत्तर के लिए

वनाग्नि के कारण नुकसान

1177. श्री राजा राम सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के दिरांग के निकट दावानल के दौरान मणिपुर में भारी वन क्षति और देश भर में जारी वनाग्नि के बारे में उपग्रह डेटा से प्राप्त जानकारी के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश, जिसमें 2024 में 1,276 आग की घटनाओं के बावजूद, कोई सुरक्षात्मक उपकरण, वाहन तथा संचार प्रणाली नहीं होने और प्रति 2,448 हेक्टेयर पर केवल एक गार्ड की तैनाती होने सहित उत्तराखंड में अग्निशमन अवसंरचना की भारी कमी को उजागर किया गया है, के बाद सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या असम, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे सभी उच्च जोखिम वाले राज्यों में वास्तविक समय में राष्ट्रव्यापी सुदूर संवेदन और शीघ्र चेतावनी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो विगत दस वर्षों के दौरान आग की घटनाओं वाले वनों की राज्य-वार और जिला-वार सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तराखंड में सरकार द्वारा मजबूत क्षमता निर्माण, उपकरण प्रबंधन और पेशेवर स्टाफिंग, जैसा कि एनजीटी द्वारा अनुशंसित है, लागू नहीं करने के पीछे क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के लिए जंगल की आग, क्षेत्रों के नुकसान, प्रतिक्रिया समय और व्यय के सम्बंध में तिमाही आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): भारत में जंगल की आग बार-बार सामने आने वाली चुनौती है, जो प्राकृतिक कारणों जैसे उच्च तापमान, सूखे की लंबी अवधि और बिजली गिरने से के साथ-साथ मानव-जनित कारणों जैसे चक्रीय खेती, भूसे के लिए जानबूझकर आग लगाना और दुर्घटनावश आग लगने के कारण उत्पन्न होती है। बढ़ते तापमान, वर्षा के अनियमित पैटर्न और शुष्क ईंधन सामग्री के बढ़ते संचय के कारण विशेषकर पहाड़ी इलाकों और शुष्क पर्णपाती वनों में ये जोखिम और बढ़ जाता है। जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन सहित वन संरक्षण की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है।

मंत्रालय जंगल की आग से संबन्धित घटनाओं की निगरानी भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से करता है, जो राज्य वन विभागों को जंगल की के संबंध में उपग्रह-आधारित पूर्व-चेतावनी, वास्तविक समय पर जंगल की आग की सटीक चेतावनी और बड़े स्तर पर जंगल की की चेतावनी जारी करता है। मंत्रालय राज्यों को समयबद्ध उपशमन, नियंत्रण और आग लगने के बाद प्रबंधन के उपाय करने में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रियल टाइम रिमोट-सेंसिंग और चेतावनी प्रणाली सभी राज्यों के लिए लागू की गई है, जिसमें उच्च-जोखिम वाले क्षेत्र जैसे असम, नागालैंड, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल हैं। एफएसआई, आईएसएफआर श्रृंखला के अंतर्गत द्विवार्षिक वन संसाधन आकलन भी करता है और वर्ष 2023-2024 की जंगल में आग लगने के मौसम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आग से जल चुके क्षेत्रों का आकलन किया है, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-**I में दिया गया है।

जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्य-योजना बनाना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की कार्य-योजनाओं को सुगम बनाना और एफएसआई के माध्यम से पूर्व चेतावनी अलर्ट जारी करना शामिल है। एनडीएमए और एनडीआरएफ के साथ समन्वय में, मंत्रालय ने जंगल की आग से संबन्धित बड़ी घटनाओं के प्रबंधन हेतु 150 कार्मिकों वाली तीन विशेष टीमों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। मंत्रालय राज्यों के प्रयासों को प्रौद्योगिकीय सहयोग, पूर्व-चेतावनी प्रणाली, क्षमता-विकास पहलों और वित्तीय सहायता के माध्यम से योगदान देता है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जंगल की आग की रोकथाम और प्रबंधन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस-एफएफपीएम) के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जिसके अंतर्गत धनराशि का उपयोग अग्नि रेखाओं के निर्माण और रखरखाव, अग्नि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जल भंडारण संरचनाओं का स्थापना, अग्निशमन उपकरणों की खरीद, जन-जागरूकता गतिविधियों और जले हुए क्षेत्रों की पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है। सीएसएस-एफएफपीएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता और पिछले पाँच वर्षों के दौरान जंगल में आग लगने के मौसम (नवंबर 2020 से जून 2025) के दौरान जंगल की आग से जुड़ी घटनाओं का ब्यौरा, **अनुलग्नक**-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

'वनाग्नि के कारण नुकसान' के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तर के लिए श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1177 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2023-2024 में जंगल में आग लगने के मौसम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आग से जल चुके क्षेत्रों के आकलन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जला हुआ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	5,286.76
3.	अरुणाचल प्रदेश	126.03
4.	असम	419.20
5.	बिहार	682.74
6.	चंडीगढ़	0.00
7.	छत्तीसगढ	3,812.28
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00
9.	दिल्ली	0.00
10.	गोवा	0.45
11.	गुजरात	408.61
12.	हरियाणा	44.63
13.	हिमाचल प्रदेश	783.11
14.	जम्मू और कश्मीर	438.86
15.	झारखंड	1,086.46
16.	कर्नाटक	2,088.35
17.	केरल	208.96
18.	लद्दाख	0.00
19.	लक्षद्वीप	0.00
20.	मध्य प्रदेश	3,172.13
21.	महाराष्ट्र	4,095.04
22.	मणिपुर	285.20
23.	मेघालय	463.95
24.	मिजोरम	243.76
25.	नगालैंड	161.77
26.	ओडिशा	2,463.74
27.	पुदुचेरी	0.00
28.	पंजाब	40.55
29.	राजस्थान	424.47
30.	सिक्किम	2.08
31.	तमिलनाडु	1,322.74
32.	तेलंगाना	3,983.28
33.	त्रिपुरा	190.47
34.	उत्तर प्रदेश	257.88
35.	उत्तराखंड	1,808.90
36.	पश्चिम बंगाल	259.93
	कुल	34,562.33

अनुबंध-II

'वनाग्नि के कारण नुकसान' के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तर के लिए श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1177 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीएसएस-एफएफपीएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
निधि जारी	32.47	34.26	28.25	39.18	30.76

पिछले पांच जंगल में लगी आग के मौसम में जंगल में लगी आग का पता लगाने की जानकारी (नवंबर 2020 से जून 2025)

जंगल की आग का मौसम	**नवंबर 2020 से जून 2021**	**नवंबर 2021 से जून 2022**	**नवंबर 2022 से जून 2023**	**नवंबर 2023 से जून 2024**	**नवंबर 2024 से जून 2025**
जंगल की आग का पता लगाना	3,45,989	2,23,333	2,12,249	2,03,544	2,38,309